प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 141/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

किशनलाल मेघवाल पुत्र भूरा लाल मेघवाल निवासीः गांव करणपुर, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18-11-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/141/24/1157–58 दिनांक 22.10.2024 से लिखा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को जरिये 1093–1095 दिनांक 24.10.2024 से लिखा गया। जिसके संदर्भ में चाही जा रही सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त होने पर जरिये पत्रांक 1116–17 दिनांक 28.10.2024 से अपीलार्थी को प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही जा रही वांछित सूचना जरिये पत्रांक 1116–17 दिनांक 28.10.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर